



राज्य निर्वाचन आयोग  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

संख्या-पं0नि0-30-208/2021 2558

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)  
शिवहर।

पटना दिनांक- 8.7.21

विषय :- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार हुए नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों के पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में।

प्रसंग:- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का ज्ञापांक-524, दिनांक-10.02.2021 एवं आपका पत्रांक-632/प., दिनांक- 05.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा नगर निकायों के नवगठन/उत्क्रमण/क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक 2114, दिनांक 14.04.2021 से पंचायतों की स्थिति में हुए परिवर्तन संबंधी प्रतिवेदन के माँग की गई थी। तदालोक में आपके पत्रांक-632/प., दिनांक- 05.07.2021 से प्रतिवेदन निम्नरूपेण उपलब्ध कराया गया है-

अनुसूची-2 (ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं किन्तु पंचायत शेष के साथ अस्तित्व में हैं) के अनुसार पंचायत के अवशेष भाग की विवरणी:-

ग्राम पंचायत का नाम-	नगर निकाय में सम्मिलित अंश			अवशेष बचे हुए अंश		
	खैरवादप (प्रखंड शिवहर)	चमनपुर (प्रखंड शिवहर)	सरसौला खुर्द (प्रखंड शिवहर)	खैरवादप (प्रखंड शिवहर)	चमनपुर (प्रखंड शिवहर)	सरसौला खुर्द (प्रखंड शिवहर)
वार्ड संख्या-	9-13 तक	13, 14	9, 10	1-8 तक	1-12 तक	1-8 एवं 11-14 तक
मतदान केन्द्र संख्या-	51-55 तक	68, 69	78, 79	43-50 तक	56-67 तक	70-77 एवं 80-83 तक
सहायक मतदान केन्द्र संख्या-	0	0	0	0	59(क)	0
कुल मतदान केन्द्र-	5	2	2	8	13	12

ग्राम पंचायत का नाम-	नगर निकाय में सम्मिलित अंश		अवशेष बचे हुए अंश	
	मथुरापुर कहतरवा (प्रखंड शिवहर)	हरनाही (प्रखंड शिवहर)	मथुरापुर कहतरवा (प्रखंड शिवहर)	हरनाही (प्रखंड शिवहर)
वार्ड संख्या-	3-7 तक	10-14 तक	1, 2 एवं 8-16 तक	1-9 तक एवं 15, 16
मतदान केन्द्र संख्या-	86-90 तक	125-129 तक	84, 85 एवं 91-99 तक	116-124 तक एवं 130, 131
सहायक मतदान केन्द्र संख्या-	0	125(क)	0	117(क), 131(क)
कुल मतदान केन्द्र-	5	6	11	13

उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

ज्ञातव्य हो कि नगर निकाय के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में नियमानुसार पंचायत आम निर्वाचन नहीं कराया जाना है। अतएव अधिसूचित नगर निकायों में समाहित क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्र को हटाने/विलोपन की कार्रवाई वेबसाईट पर की जा रही है।


विश्वासभाजन

  
सचिव।

ज्ञापांक- 2558

पटना, दिनांक- 8.7.21

प्रतिलिपि- निदेशक, सॉफ्टवेयर एजुकेशन रिसर्च प्रा0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव 8/7/21